नाडार महाजन संगम एस. वेलैचामी नाडार कल्लूरी एवं अन्य

बनाम

जिला निबंधक (सोसाइटी एवं अन्य)

7 अप्रैल, 1997

[माननीय न्यायमूर्ति श्री के. रामास्वामी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. पी. वाधवा]

तमिलनाडु सोसाइटी निबंधन अधिनियम, 1975 :

समिति — एन.एम.एस.एस. वेलैचामी नाडार महाविद्यालय — समिति का कार्यकाल समाप्त — निर्वाचन आयोजित नहीं हुआ — वाद — विचारण न्यायाधीश द्वारा निबंधक को जांच करने का निर्देश — इस बीच दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया कि विचारण न्यायाधीश ने निबंधक को जांच करने का निर्देश देकर अपने न्यायिक कर्तव्य का परित्याग किया है — उच्चतम न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को स्थानीय आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश — आयुक्त विधि के अनुसार पुनः निर्वाचन संपन्न कराएगा — विचारण न्यायालय आयुक्त के प्रतिवेदन के आलोक में यथोचित आदेश पारित करेगा तथा तदनुसार वाद का निस्तारण करेगा।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1997 की दीवानी अपील संख्या 2880-82

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सी.एम.ए. संख्या 843/96 तथा 1996 की रिट याचिका संख्या 9771 एवं 12007 में पारित दिनांक 9.1.97 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

कपिल सिब्बल, डी. डी. ठाकुर, पी. पी. राव, वी. लक्ष्मीनारायणन, श्रीमती बीना गुप्ता एवं श्रीमती राखी राय, अपीलकर्ताओं की ओर से।

एस. शिवा सुब्रमण्यम, एस. सुब्बैया एवं के. वी. विजयकुमार, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

अनुमति प्रदान की जाती है।

विशेष अनुमति से दायर ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सी.एम.ए. संख्या 843/96 तथा रिट याचिका संख्या 9771 एवं 12007/96 में दिनांक 9 जनवरी, 1997 को पारित निर्णय से उद्भूत हैं।

एन.एम.एस.एस. वेलैचामी नाडार महाविद्यालय की स्थापना नाडार महाजन संगम द्वारा वर्ष 1965 में की गई थी और महाविद्यालय का संचालन करने वाली समिति का निर्वाचन ही विवाद का मूल विषय है। निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिकताओं एवं उससे उत्पन्न परिणामों से परे, इस मामले का वास्तविक केंद्रबिंदु महाविद्यालय का सुशासन है। उक्त संस्थान का संचालन करने तथा उसकी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार किसे है, यही विवाद का मुख्य प्रश्न है। यह विवादित नहीं है कि यद्यपि पूर्ववर्ती समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 1996 को समाप्त हो गया था, तथापि किसी न किसी कारण से निर्वाचन आयोजित नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, प्रबंधन को किसी तृतीय अभिकरण को सौंपे जाने की आशंका के कारण 9 जून, 1996 को निर्वाचन आयोजित किए गए, किंतु वह प्रयास निष्फल सिद्ध हुआ। तत्पश्चात 12 जून, 1996 को प्रपत्र संख्या 7 में निबंधक के समक्ष शिकायत की गई। प्रतीत होता है कि निबंधक द्वारा एक जांच की गई, किंतु वह विधिक दृष्टिकोण से प्रक्रिया का परीक्षण करने में विफल रही तथा उसका प्रतिवेदन 19 जून, 1996 को प्रस्तुत किया गया। इस बीच, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल वाद संख्या 417/96 संस्थित किया गया। अंतवर्ती आवेदन संख्या 292/96 में एक अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करते हुए तमिलनाडु सोसाइटीज निबंधन अधिनियम, 1975 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अधीन नियुक्त जिला निबंधक को वास्तविक स्थिति का पता लगाने तथा तत्पश्चात प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस बीच, रिट याचिकाएँ भी दायर की गईं। अंततः खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का परित्याग कर दिया था; उन्हें स्वयं साक्ष्य अभिलिखित कर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने चाहिए थे।

इसके विपरीत उन्होंने निबंधक को जांच करने का निर्देश दिया और इस प्रकार यह न्यायिक कर्तव्य के परित्याग का मामला बन गया। तदनुसार आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। वाद-विवाद को संक्षिप्त करने के उद्देश्य से, हमारे विचार में निम्नलिखित व्यवस्था किया जाना उपयुक्त होगा :

व्यवहार न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह एक अधिवक्ता को आयुक्त नियुक्त करे। अधिवक्ता-आयुक्त 14 मई, 1996 की स्थिति में समिति के सभी सदस्यों को वैध सदस्य मानेगा। वह समिति के उपविधियों के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार पुनः निर्वाचन संपन्न कराएगा। निर्वाचन संपन्न होने तक, प्राचार्य संस्थान के प्रबंधन का प्रभार संभाले रखेंगे तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XL नियम 1 के अधीन न्यायालय के रिसीवर के रूप में कार्य करेंगे। वे न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होंगे। अधिवक्ता-आयुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, असैनिक न्यायालय प्रस्तुत प्रतिवेदन के आलोक में यथोचित आदेश पारित करेगा तथा तदनुसार स्वत्व वाद का निस्तारण करेगा। अधिवक्ता-आयुक्त का शुल्क तथा निर्वाचन पर होने वाला व्यय व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विचारण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति की तिथि से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्वाचन संपन्न कराने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर आयुक्त की नियुक्ति करे। विचारण न्यायालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि निर्वाचन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात 3 माह के भीतर वाद का निस्तारण करे। अधिवक्ता-आयुक्त का शुल्क विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उक्त राशि का वहन सफल पक्ष द्वारा किया जाएगा। प्रारंभ में उक्त राशि का भुगतान प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय निधि से किया जा सकता है और तत्पश्चात वाद के सफल पक्ष से महाविद्यालय द्वारा उसकी वसूली की जाएगी।

तदनुसार, अपीलों का निस्तारण किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

टी.एन.ए. अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

सन्नी प्रसाद